रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 516] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 1972/अग्रहायण 21, 1894

No. 516] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 1972/AGRAHAYANA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December 1972

S.O. 744(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1 of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), read with the notification of the Government of India in the late department of Commerce and Industry No. 801 dated the 24th March, 1905, the Railway Board hereby makes the following rules further to amend the rules published) with the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. TC III/3036/58/Notification dated the 28th August, 1958 namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railways (Rules for regulating the use of Rolling Stock, Engines and Trains) (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 21st day of December, 1972.

2. **Amendment of Rule 6.**—In the Rules for regulating the use of Rolling Stock, Engines, and Trains, in the Table below rule 6, under the heading "Demurrage on Goods Wagons" ff()

item (iii) in column 1 and the connected entries in columns 2 to 4, the following item (iv) and connected entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
"(v) On Wagons ordered and waiting to be loaded by consignors at colliery sidings.	(i) *Where pilot to pilot system of working is in force.* From the time wagons are placed at the colliery siding upto the time of visit of the next pilot or train engine irrespective of the time intervals except that the intervals will not be of less than five working hours. (ii) In all other cases, five working hours from the time wagons are placed at the sidings.	Rs. 50 per 4-wheeled wagon per day or part thereof.	The entire group of BOX wagons placed for loading will be treated as one unit for the purpose of levy of, demurrage charge i. e. even if one wagon out of the group of two or more is detained for loading beyond the prescribed free time, the demurrage will be levied on all the BOX wagons in the group. In cases where wagons are placed against indent by consignors but are not used demurrage charges will be leviable for the entire period from the time the wagons are placed in the siding upto the time of receipt of written intimation of cancellation of the indent, no free time being allowed. If the wagons are not ready for removal by the next pilot or train engine, demurrage will be chargeable for the entire period upto the arrival time of the subsequent pilot or train engine which draws the wagons, even if the wagons were ready for removal earlier."

[No. TCI/217/72/1.]

H. F. PINTO,

Secy. Railway Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1972

एस० ओ० 744(अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग विभाग की अधिसूचना सं० 801 दिनांक 24 मार्च, 1905 के साथ पठित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उपधारा 1 के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रेलवे बोर्ड, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं० टी०सी–3/3036/58/अधिसूचना, दिनांक 22 अगस्त, 1958 में आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) ये नियम (चल-स्टाक, इंजन और गाड़ियों के उपयोग के विनियम के लिये नियम) (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये दिसम्बर, 1972 से 21वें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 6 का संशोधन .—चल-स्टाक, इंजनों और गाड़ियों के उपयोग के विनियम के लिये नियमों में, नियम 6 के नीचे तालिका में, "माल डिब्बों पर बिलम्ब-शुल्क" शीर्षक के नीचे मद (iii) के बाद कालम 1 में और कालम 2 से 4 में सम्बद्ध इन्दराज में, निम्नलिखित मद (iV) और सम्बद्ध इन्दराज अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

1	2	3	4
"(iV) उन माल डिब्बों पर जिनके आर्डर दिये गये हों और जो खान साइडिंगों में प्रेषकों द्वारा लदान के लिये प्रतीक्षा में हों।	(i) जहां पायलट से पायलट कार्य-प्रणाली लागू हो— खान साइडिंग में माल-डिब्बों के लगाने के समय से पायलट या गाड़ी इंजन के अगली बार आने के समय तक, चाहे अन्तराल कितना ही हो, परन्तु काम के पांच घंटों से कम का नहीं होना चाहिये।	प्रतिदिन या उसके अंश के लिये 50 रु० प्रति चौ-पहिये माल डिब्बा	बिलम्ब-शुल्क लगाने के उद्देश्य से बी० ओ० एक्स० माल-डिब्बों का सम्पूर्ण समूह एक इकाई माना जायेगा, अर्थात् यदि दो या अधिक के समूह में से एक माल डिब्बा लदान के लिये निर्धारित शुल्क-मुक्त समय के बाद रोक लिया जाये तो बिलम्ब-शुल्क समूह के सभी बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों पर लगाया जायेगा।
	(ii) अन्य सभी मामलों में, मालडिब्बों के साइडिगों पर लगाये जाने से काम के पांच घंटों तक।		ऐसे मामलों में, जहां माल डिब्बे प्रेषकों के मांग-पत्रों के अनुसार लगाये गये हों, परन्तु उनका उपयोग न किया गया हो, तो मालडिब्बों के साइडिंग पर लगाये जाने के समय से मांग-पत्र रद्द किये जाने की लिखित सूचना प्राप्त होने के समय तक पूरी अवधि का बिलम्ब-शुल्क लगाया जायेगा, कोई शुल्क-मुक्त समय न दिया जायेगा।

1	2	3	4
			यदि माल डिब्बे अगले पायलट या गाड़ी इंजन के आने तक ले जाए जाने के लिये तैयार न हों, तो उसके बाद माल-डिब्बे ले जाने के लिये आने वाले पायलट या गाड़ी इंजन के आने के समय तक पूरी अवधि का बिलम्ब-शुल्क लगाया जायेगा, चाहे माल डिब्बे ले जाने के लिये पहले ही तैयार हो जायें।"

[सं० टी सी/1/217/72/1.]

एच० एफ० पिन्टो,

सचिव, रेलवे बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972